अति तत्काल

सं. एन-22/2/2021-पीएंडसी
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन , नई दिल्ली।
दिनांक 12 जनवरी, 2022

विषय:- **उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में माह दिसम्बर, 2021 के लिए मंत्रिमण्डल के लिए मासिक सारांश- के संबंध में।**

****

अधोहस्ताक्षरी को उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में दिसम्बर, 2021 माह के मंत्रिमंडल के मासिक सारांश के अवर्गीकृत भाग को आवश्यक जानकारी हेतु संलग्न करने का निदेश हुआ है।

सुरेंद्र 12/1/2022

(सुरेंद्र सिंह)
निदेशक, भारत सरकार
दूरभाष संख्या 23384390

प्रति

संलग्नकों के साथ प्रतिलिपि, ईमेल के माध्यम से अग्रेषित:

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. पीआईबी/सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
3. माननीय उप-राष्ट्रपति के सचिव
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन , नई दिल्ली।
5. सचिव, भारत सरकार। (संलग्न सूची के अनुसार)
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग , योजना भवन , नई दिल्ली।
8. निदेशक (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

उपभोक्ता मामले विभाग
दिसंबर, 2021 माह के लिए मासिक सारांश

दिसम्बर, 2021 माह के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप/निर्णय।

1. **उपभोक्ता संरक्षण**

1.1 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24.12.2021 को वेबिनार के माध्यम से मनाया गया। श्री पीयूष गोयल , माननीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उत्सव का विषय " **उपभोक्ता-अपने अधिकारों को जानों"** था। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कार्यक्रम के दौरान, माननीय मंत्री ने उपभोक्ता कानून और व्यवहार पर लैंडमार्क निर्णयों पर ई-पुस्तकें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत मध्यस्थता पर एक हैंडबुक और उपभोक्ता निवारण आयोगों में ई-फाइलिंग पर एक हैंडबुक का लोकार्पण किया तथा आरआरएसएल, वाराणसी में पेयजल परीक्षण के लिए नेशनल टेस्ट हाउस (एनटीएच) मोबाइल वेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वेबिनार में राज्य सरकारों के अधिकारी, उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया।

1.2 माह के दौरान पश्चिम बंगाल में ई- दाखिल पोर्टल ने काम करना शुरू कर दिया। इसके साथ, ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या 24+एनसीडीआरसी है।

1.3 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत निम्नलिखित नियम दिसंबर, 2021 में अधिसूचित किए गए:

(i) उपभोक्ता संरक्षण (जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग का क्षेत्राधिकार) नियम, 2021;
(ii) उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021;
(iii) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (लेखाओं और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2021; तथा,
(iv) उपभोक्ता संरक्षण (केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा अपराधों की जांच और जब्ती और कंपाउंडिंग और जुर्माना जमा कराना) नियम, 2021।

2. **भारतीय मानक ब्यूरो**

2.1 गुणवत्ता अवसंरचना पर भारत-जर्मन कार्य समूह के ढांचे के तहत कार्य और सहयोग की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक 01 दिसंबर 2021 को आयोजित की गई थी। भारतीय पक्ष से सचिव (उपभोक्ता मामले) और महानिदेशक, डिजिटल और नवाचार नीति, बीएमडब्ल्यूआई से जर्मन पक्ष ने बैठक की सह-अध्यक्षता की।

2.2 भारतीय मानक ब्यूरो ने बीआईएस (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 के तहत एक नई अनुरूपता मूल्यांकन योजना (स्कीम-IX) को अधिसूचित किया है। यह योजना एक साथ एक सामान्य एकीकृत उत्पाद प्रमाणन, प्रणाली प्रमाणन और प्रक्रिया प्रमाणन प्रदान करती है। वर्तमान में, यह योजना दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए परिकल्पित है और इसे अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित किया जा सकता है।

2.3 माननीय प्रधान मंत्री ने 23 दिसंबर 2021 को वाराणसी में दूध और दुग्ध उत्पादों और प्रमाणन लोगो के लिए अनुरूपता मूल्यांकन स्कीम शुरू की है। साथ ही, इस स्कीम के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए बीआईएस के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पांच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

2.4 बीआईएस केयर ऐप में एक नया प्रावधान किया गया है जिसमें उपभोक्ता एचयूआईडी में प्रवेश करने के बाद हॉलमार्क वाले आभूषणों का विवरण देख सकता है जैसे कि आभूषण का प्रकार , शुद्धता, एएचसी का नाम, जौहरी का नाम, हॉलमार्किंग की तारीख।

2.5 निर्यात, पुन: आयात, घरेलू प्रदर्शनियों और सोने के आभूषणों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और कुंदन , पोल्की और जड़ाऊ की परिभाषाओं के लिए एसओपी आभूषण जारी किया गया है।

2.6 हॉलमार्किंग स्कीम के तहत माह के दौरान 5927 नए ज्वैलर्स पंजीकृत किए गए हैं और 22 नए एसेइंग एवं हॉलमार्किंग केंद्रों को मान्यता दी गई है। बीआईएस से मान्यता प्राप्त एसेइंग और हॉलमार्किंग केंद्रों द्वारा उपभोक्ताओं के पास पड़े गैर-हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों के परीक्षण की अनुमति दी गई है।

2.7 बीआईएस ने निम्नलिखित वेबिनार का आयोजन किया है:

i. 26 नवंबर 2021 को अंतर-प्रयोगशाला अध्ययनों के बेहतर अभ्यास के संचालन के लिए सर्वोत्तम विचारों को साझा करने और अंतर-प्रयोगशाला अध्ययनों से पेट्रोलियम ईंधन के लिए सटीक डाटा तक पहुंचने के लिए।

ii. 30 नवंबर, 2021 को 'होटलों के लिए सेवा आवश्यकताएं' संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य होटल आईएस / आईएसओ 22483: 2020 के लिए सेवा आवश्यकता मानक की प्रयोज्यता के बारे में जागरूकता पैदा करना और हितधारकों के बीच मानक की आवश्यकता के साथ-साथ पहचान करना और पर्यटन सेवाओं के मानकीकरण कार्य में डोमेन विशेषज्ञों को शामिल करना।

iii. आगामी क्यूसीओ, प्रमाणन प्रक्रिया और मानकीकरण प्रक्रिया के बारे में विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए 01 दिसंबर, 2021 को स्पोर्ट्स गुड्स स्टैंडर्ड और क्यूसीओ।

iv. आईएफएमए इंडिया के सहयोग से वर्चुअल रूप से 10 दिसंबर 2021 को 'एसेट मैनेजमेंट'।

v. 17 दिसंबर 2021 को 'चावल फोर्टिफिकेशन के माध्यम से कुपोषण का मुकाबला - भारतीय मानकों की भूमिका' पर मानक जागरूकता कार्यक्रम । इस कार्यक्रम का उद्देश्य फोर्टिफाइड चावल और संबंधित वस्तुओं पर हाल ही में प्रकाशित भारतीय मानकों और फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स और फोर्टिफाइड राइस के विनिर्माण के लिए उपकरणों पर भारतीय मानकों के मसौदे, जो 31 दिसंबर , 2021 तक व्यापक प्रचलन में हैं, के बारे में जागरूकता पैदा करना और हितधारकों को जानकारी का प्रसार करना था।

vi. 22 दिसंबर, 2021 को फाउंड्री उद्योग में तकनीकी प्रगति।

vii. पर्यावरण सेवा क्षेत्र के बारे में जागरूकता पैदा करने और पर्यावरण के नए उभरते क्षेत्रों में सेवाओं के मानकीकरण के अवसरों का पता लगाने के उद्देश्य से 23 दिसंबर 2021 को पर्यावरण निगरानी और मूल्यांकन सेवाओं में मानकीकरण - लाभ और चुनौतियां।

viii. आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए, 23 नवंबर, 2021 को 'मेक इन इंडिया-प्लेइंग सेफ विद टॉयज' पर एक वेबिनार और 29 नवंबर 2021 को स्वयं सहायता समूहों और इसी तरह के निकायों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम।

3. मूल्य निगरानी

3.1 53वीं पीएसएफएमसी बैठक 27.12.2021 को पीएसएफ बफर के तहत दालों और प्याज की खरीद/निपटान की प्रगति की समीक्षा के लिए सचिव (सीए) की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

3.2 पीएमजीकेएवाई I, II और एएनबी के तहत कर्नाटक और तेलंगाना सरकारों को अंतर-राज्यीय संचलन, एफपीएस डीलर्स मार्जिन के लिए 17.58 करोड़ रूपये जारी किए गए।

3.3 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ के सुदृढ़ीकरण के तहत कर्नाटक, नागालैंड तथा अंडमान और निकोबार सरकार को क्रमशः 11.52 लाख रूपये, 40.40 लाख रूपये और 30.40 लाख रुपये जारी किए गए।

3.4 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति की बैठक दिनांक 07.12.2021 को आयोजित की गई।

3.5 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा के लिए माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में समूह की बैठक 15.12.2021 को आयोजित की गई।

4. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम

4.1 आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 को लोकसभा में 29 नवंबर, 2021 को कृषि और किसान कल्याण मंत्री द्वारा एक विधेयक के माध्यम से निरस्त किया गया, जिसे दोनों सदनों द्वारा 29 नवंबर, 2021 को पारित किया गया और माननीय राष्ट्रपति ने 30 नवंबर, 2021 को अपनी सहमति दी।

5. स्वच्छता अभियान

5.1 देश में ग्रामीण और शहरी नगरपालिका क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए बीआईएस मानकों को अंगीकार करते हुए स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और नगर निगम के पानी के नमूनों के परीक्षण पर देश के शीर्ष पांच नगर निगमों के नगर निगम आयुक्तों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की गई।

5.3 उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी अधीनस्थ और स्वायत्त संगठनों को निर्देश दिया गया है कि वे देश भर में स्थित अपने परिसरों में स्वच्छता पर विशेष अभियान जारी रखें और प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को तीन घंटे स्वच्छता अभियान के लिए समर्पित करें।

5.4 दिसंबर माह में देश भर में एनटीएच, गाजियाबाद, बीआईएस शाखाओं और आईआईएलएम रांची में वनीकरण और वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान देने के साथ विशेष स्वच्छता अभियान चलाए गए।

5.5 20 दिसम्बर, 2021 से 25 दिसम्बर, 2021 तक प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा आयोजित सुशासन सप्ताह समारोह में भाग लिया और राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में सुशासन पहलों को प्रदर्शित करने और प्रदर्शित करने के लिए चुने गए 25 विभागों में से एक था।

6. विधिक मापविज्ञान

6.1 उत्तर प्रदेश और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में मात्रात्मक परीक्षण सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए, राष्ट्रीय परीक्षण शाला (एनटीएच) के लिए एक सेटेलाइट परीक्षण केंद्र के साथ एक क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला (आरआरएसएल), वाराणसी की स्थापना की गई है। आरआरएसएल प्रयोगशाला बाट और माप का

अंशांकन करेगी और एनटीएच प्रयोगशाला पेयजल परीक्षण, रासायनिक परीक्षण तथा वस्त्र उद्योग और आम उपभोक्ता परीक्षण आवश्यकताओं का समर्थन करने वाले वस्त्र परीक्षण करेगी। क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला (आरआरएसएल), वाराणसी का उद्घाटन **23 दिसंबर 2021 को** भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था।